अनुज्ञप्तिधारी अन्य बातों के साथ –साथ विद्युत की आपूर्ति करने के कारोबार में संलग्न है और उसे भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है और वर्तमान में अपने अनुज्ञप्त क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न उपभोक्ताओं को ऊर्जा का वितरण और/या फुटकर आपूर्ति और या थोक आपूर्ति के लिए विद्युत अधिनियम 2003 (एतस्मिनपश्चात-अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 14 के प्रथम परन्तुक अनुज्ञप्तिधारी माना जाता है।

2. उपभोक्ता दिनांक ______________ के आवेदन द्वारा पूर्ण जमा योजना परियोजन के लिए निजी नलकूप योजना अपने परिसर के सम्बन्ध में ग्राम... में स्थित संस्थापन) 3HP विका० खण्ड फूलपुर ______ (एतस्मिनपश्चात अपने परिसर के रूप में निर्दिष्ट में विद्युत ______ के०डब्लु०/बी० एच० पी०/के०वी०ए० के भार के लिए ऊर्जा की आपूर्ति (एतस्मिनपश्चात संविदात्मक भार के रूप में निर्दिष्ट उपगत करने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति समक्ष आवेदन किया है उसे काट दिजिए जो लागू न हो।)

(क) बड़ी और भारी शक्ति (शक्ति का निर्बन्धित/अनिर्बन्धित प्रयोग) (एच०वी०–2)
(ख)सार्वजनिक संस्थान (एल०एम०वी०– 4)
(ग) संचाई प्रयोजन के लिए व्यक्तिगतनलकूपों के लिए/पंपिंग सेटों के लिए कम शक्ति एल०एम०वी० –5)
(घ) कम और मध्यमशक्ति (शक्ति या निर्बन्धित/अनिर्बन्धित उपयोग) (एल०एम०वी०–5)और अनुज्ञप्तिधारी ऊर्जा को ऐसी आपूर्ति प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है । दर अनुसूची जैसा कि ऊपर है । नवीनतम टैरिफ आदेश के अनुसार होगा । अब यह करार देखा जाता है और एतद्द्वारा पक्षकारो द्वारा और के बीच में निम्नलिखित करार किया जाता है घोषणा की जाती है और अभिलिखित किया जाता है ।

1. यह करार अनुज्ञप्तिधिकारी को द्वारा इस करार के अधीन उपभोक्ता को आपूर्ति के प्रारम्भ की तारीख से 2 (दो) वर्ष की न्यूनतम अवधी के लिए प्रभारी होगा।

क– उपयोक्ता अनुज्ञप्तिधिकारी को सभी प्रभारों का भुगतान करेगा जैसा कि प्रवर्तित टैरिफ (या दर) अनुसूचित में इनके लिए अनुबन्धित है जैसा कि समय–समय से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एतस्मिनपश्चात आयोग के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा अनुमोदित है जिसमें शामिल करने वाले टैरिफ (दर) अनुसुची के अधीन शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में उपभोक्ता द्वारा संदेय कोई दाण्डिक या अतिरिक्त प्रभार शामिल है।

(ख)पूर्वोक्त प्रभारों के अतिरिक्त उपभोक्ता अन्य कानून शुल्कों का भुगतान करेगा जिसमें विद्युत
शुल्क कर अधिभार इत्यादि शामिल है जैसा कि समय –समय से लागू हो
2–उपभोक्ता आयोग एतद्द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निम्न रूप में वचन देता है प्रतिनिधित्व करता है आवश्यकता देता है अपेक्षा करता है करार करता है और प्रतिनिधित्व करता है आश्वासन देता है करार करता है और प्रसंविदा करता है

1– उपभोक्ता आयोग द्वारा अनुमोदित संहिता 2005 (एतस्मिनपश्चात संहिता के रूप में निर्दिष्ट) के सभी नियमों और शर्तो और संशोधनों/पुनरीक्षणों और अधिनियम के प्रावधानों के साथ अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावली तथा भारतीय विद्युत नियमावली 1956 जिससे रुपान्तरण शामिल है का अनुपालन करेगा और से बाध्य होगा जब तक से उपभोक्ता को लागू है ।

2– अनुज्ञप्तिधारी किसी ढंग से चाहे जो भी हो अपने नियंत्रण के परे कारणों से आपूर्ति की कटौती व्यवधान स्थगन कमी या रोक और अपने नियंत्रण से परे कारणों से आपूर्ति की असफलता से उद्भूत क्षति या नुकसानी के कारण किसी बाधा के लिए उत्तरदायी निर्णीत नहीं किया जायेगा जिसमे शामिल है किन्तु निर्बन्धन की शर्तो पर सीमित नहीं है जो उस तक सीमित होगा जैसा कि संहिता में प्रावधान किया गया है।

3– उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके परिसर में आपूर्ति की गई ऊर्जा का उपयोग विधि और प्राधिकार के अनुसार किया जाता है और उपकरण में अप्राधिकृत वृद्धि/परिवर्तन नहीं है। यदि अनुज्ञप्तिधारी को यह समझने या आशंका करने का युक्तियुक्त आधार है कि किसी चाहे जो भी हो उक्त शर्तों का उल्लंघन है तो अनुज्ञप्तिधारी के अभिहित प्राधिकारी सामान्य निरीक्षण और उपकरण मीटर तथा वायरिंग इत्यादि के परीक्षण के लिए उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र होगा।

4– उपभोक्ता यह आश्वासन देगा कि मीटर मीटर बोर्ड सेवा लाइन परिपथ एम.सी.बी./सी.बी. भार सीमांकन इत्यादी किसी परिस्थिति मे अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत कर्मचारी/प्रतिनिधि से अतिरिक्त किसी अन्य सीमांकन और अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण पर लगाया गया है उसी तरह दूषित क्षतिग्रस्त या तोड़ा नही जाना चाहिए। अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण और उपभोक्ता के अन्तर्गत मीटर/माप करने के उपकरण पर सील की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायित्व उपभोक्ता पर होगा। उपभोक्ता या उसके

Scanned with CamScanner

...धि द्वारा किसी कार्य उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण उपभोक्ता के परिसर में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ... संदेय होगा।

3– उपभोक्ता लिखित में अनुज्ञप्तिधारी को सूचना देगा(जैसा कि संहिता में इसके लिए प्रावधान किया गया है) यदि वह उक्त परिसर या उसके किसी भी भाग को खाली करने के लिए आशय रखता है जिसके लिए विद्युत संयोजन अनुज्ञप्तिधारी से ग्रहण किया गया है।

4(क)– इसके अधीन अपेक्षित या अनुमति सभी नोटिस/सूचना लिखित में होगी और संहिता में उसके लिए विहित प्रारूप में भेजी जाएगी। नोटिस कूरियर पंजीकृत डाक रसीद सहित दस्ती परिदान के मामले में जमकर रसीद कूरियर मेल द्वारा प्रेषण की तारीख 4 दिनों से उस स्थान पर और अभिलिखित परिदान के मामले में उपभोक्ता या उसके कर्मचारी या उपभोक्ता के प्रतिनिधि द्वारा उसकी रसीद के साथ ही चिपकाने के मामले में उक्त परिसर के सहजदृश्य स्थान पर ऐसी नोटिस के चिपकाने के साथ ही उपभोक्ता द्वारा प्राप्त किया गया माना जाएगा।

(ख) लेकिन अनुज्ञप्तिधारी से मासिक विद्युत उपभोग बिल उसमें दर्शित धनराशि के भुगतान के लिए (बिल तथा नोटिस) होना माना जाएगा।

5–बकाया कम्पनी की परिसम्पत्ति पर प्रभार होगा। विक्रय किए जाने के पूर्व बकाये का भुगतान किया जाएगा और विक्रय में करार/विक्रय–विलेख विनिर्दिष्ट रूप से बकाये और भुगतान के ढंग का उल्लेख करेगा।

6– यदि उपभोक्ता घोषणा/ करार के निष्पादन के बाद अपने भार में कमी या वृद्धि करता है या प्रयोग को परिवर्तित करता है या अपने संयोजन को अन्तरित करता है तो नई घोषणा/करार को निष्पादित करार की तरह दो वर्ष के लिए विधिमान्य होगा । लेकिन दर अनुसूचि/आयोग/निगम के उपबन्धित/रियायत जो नए संयोजन में ग्राह्य है उक्त रूप में परिसर में परिवर्तन/भार की कमी के कारण नए करार/घोषणा के निष्पादन पर ग्राह्य नहीं होगा।

7– माध्यस्थम यदि इस करार के पक्षकारों के बीच इसमें अन्तर्विष्ट किसी प्रावधान या खण्ड के निर्वचन या प्रभाव या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में या किसी तरह से इस करार से सम्बन्धित या तो उद्भूत किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में कोई प्र न या विवाद या मतभेद निगम के प्रबन्ध निदे क या उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को माध्यस्थम को निर्दिष्ट किया जाएगा और उक्त मध्यस्थ का अधिनिर्णय/विनिश्चय अन्तिम होगा और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। मध्यस्थ में कार्यवाही करने के लिए विवाद या मतभेद इस करार के निबन्धनों में उपभोक्ता पर प्रभार्य किसी बकाये से सम्बन्धित है तो माध्यस्थम को कोई निर्दे ा उपभोक्ता के निर्दे । उपभोक्ता के विवादास्पद बकाये की धनराशि नकदी में/बैंक ड्राफ्ट द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के पास निक्षेप किए जाने तक नहीं किया जाएगा।

8– यह करार विद्युत अधिनियम 2003 द्वारा उसके सभी संशोधनों भारत में तत्समय प्रवर्तित विभिन्न अन्य विधियों द्वारा शासित किया जाएगा किन्तु यू0पी0ई0आर0सी0 के विभिन्न विनियमों तक सीमित नहीं होगा जैसा कि उ0प्र0 राज्य में लागू है और प्रयागराज उच्च न्यायालय के अधिनस्त न्यायालय की अधिकारिता के अधीन होगा।

9– स्टाम्प लगाने पर (केवल 100रू के गैर न्यायिक स्टाम्प कागजात) पर व्यय उपभोक्ता द्वारा इस करार लिए किया जाएगा जिसे रजिस्ट्रीकृत किए जाने की आव यकता नहीं है। जिसके साक्ष्य में पक्षकार नीचे अभिलिखित साक्षियों की उपस्थिति में पहले उक्त लिखित रूप में स्थान दिन मास और वर्ष में इसे निष्पादित किया है।

Scanned with CamScanner

अजय मिश्रा ....

.... ने परिषद के प्रधान द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत वि०वि०ख० पुखरायां में हस्ताक्षरित और परिदत्त किया गया।

निविदा उपभोक्ता दिलीप कुमार द्वारा श्री अजय मिश्रा के माध्यम से दिनांक 14.08.2023 के परिषद के प्रस्ताव/मंडल/डिवीजन/भागीदारी विलेख (जो लागू न हो उसे काट दीजिए) द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत वि० वि०ख० पुखरायां में हस्ताक्षरित और परिदत्त।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में

1— चन्द्रभान

2— विमलेश

3— सौरभ गौतम

रसीद नं०— P53722536

दिनांक — 10.07.2023

धनराशि (अंकों में) — 2240=00

(शब्दों में)— दो हजार दो सौ चालीस मात्र

दिलीप कुमार

उपभोक्ता के हस्ताक्षर

अनुबन्ध लिपिक

अधिशासी अभियन्ता

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

28 JUN 2023

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH GE 651946

विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए करार (पी0टी0डब्ल्यू के सभी भार के लिए औद्योगिक और अन्य संवर्ग के में भार 25 के डब्ल्यू0 से अधिक / समान होगा)

यह करार दिनांक 14.08.2023 के सोमवार दिन को (वितरण कम्पनी काम) कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय विद्युत वितरण खण्ड– चतुर्थ आजमगढ उसके प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता श्री अजय मौर्य (अधिशासी अभियन्ता) एतस्मिनृपश्चात् अनुज्ञप्तिधारी के रूप में (निर्दिष्ट जिस पद का तात्पर्य हित उत्तराधिकारी नामांकित और ये श्शामिल होगें जब उसके विषय यह सन्दर्भ का अर्थ के प्रतिकूल न हो) एक ओर

और

दूसरी ओर व्यक्तिगत / भागीदारी उपकम / स्वतधारी संस्थान जो 1910 / 1956 अधिनियम के अधिन निगमित है और जिसका निवास ग्राम बुमामार पोस्ट महुला खण्ड के अन्तर्गत. है, जिसका नाम व हस्ताक्षर श्री दिलीप कुमार है जिसे एतस्मिपश्चात् उपभोक्ता कहा जायेगा (जिसका तात्पर्य हित उत्तराधिकारी नामांकिती और समनुदेशित से है जब तक उसके विषय या सन्दर्भ या अर्थ में प्रतिकूल न हो) के बीच निस्पादित किया जाता है।

अधिशासी अभियन्ता

अनुबन्ध लिपिक

दिलीप कुमार

उपभोक्ता हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner